

उपस्थिति:-

1. श्री मृत्युंजय प्रसाद, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग के प्रतिनिधि।
2. श्री रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इण्ड. एसोसिएशन, पटना।
3. श्री एस.पी.सिन्हा, अध्यक्ष, सी.आई.आई., पटना।
4. श्री एस.पी.राय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
5. श्री एम.एन. बरेरिया, उपाध्यक्ष, बिहार चॅम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज, पटना।
6. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना एवं मुजफ्फरपुर।
7. श्री बलराम सिंह, कार्यकारी निदेशक, बियाडा भागलपुर।
8. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा।

कार्यवाही

1. सरकार द्वारा अधिसूचित नई भूआवंटन नीति ज्ञापांक 5390 दिनांक 19.12.13 के आलोक में दिनांक 15.02.16, 07.05.16, 12.05.16 एवं 08.06.16 को पी.सी.सी. की बैठक आयोजित की गई। नई भूआवंटन नीति की कंडिका 4.5 में उल्लेखित है कि—“यदि किसी श्रेणी में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो पी0सी0सी0 उस वर्ग में भूखंडों की संख्या का पांच गुणा में से लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु निर्णय लेगी”। एक भूखण्ड पर एक से अधिक प्राप्त आवेदनों पर पी.सी.सी. द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि — वैसे प्लॉट, जिनपर एक से अधिक आवेदन हैं एवं जिन्हें न्यूनतम 33 अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, यदि उनमें लॉटरी किया जाता है तो इसमें संभावना होगी कि अच्छी परियोजनाओं को भूमि नहीं मिलने के बजाये साधारण परियोजना को भूमि आवंटित हो जाय। अतएव, ऐसी स्थिति में एक प्लॉट पर अधिक आवेदन प्राप्त होने वाले मामलों में सरकार का निदेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इस मामले में 16 अलग-अलग प्लॉटों पर कुल 41 इकाईयों द्वारा आवेदन दायर किए गए।
2. तदनुसार पी.सी.सी. के उक्त निर्णय के आलोक में सभी परियोजनाओं के विस्तृत ब्यौरा के साथ कार्यालय पत्रांक 3305/डी दिनांक 27.07.16 द्वारा उद्योग विभाग से मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
3. सरकार से इस मामले में किसी प्रकार का निदेश प्राप्त नहीं होने के कारण, आज की पी.सी.सी. बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा अधिसूचित नई भूआवंटन नीति की कंडिका 4.5 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में ही कार्रवाई की जाय। साथ ही इस मामले में लॉटरी की कार्रवाई हेतु बियाडा क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के कार्यकारी निदेशक को प्राधिकृत किया गया।

4. अधिष्ठान अग्निशमन पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी भागलपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु 0.25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी भागलपुर में भूखण्ड सं० डी-24(पार्ट), रकवा- 0.25 एकड़ आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध है।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भेडियाडांगी (किशनगंज) में 2920 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। विदित हो कि औद्योगिक क्षेत्र, किशनगंज अन्तर्गत बियाडा, शाखा कार्यालय के लिए आरक्षित भूखण्ड सं० - D-1 (P)-13650 वर्गफीट में से 2000 वर्गफीट भूमि जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना हेतु पूर्व से आवंटित है। यदि जिला उद्योग केन्द्र के लिए अतिरिक्त 2920 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाती है तो बियाडा शाखा कार्यालय हेतु मात्र 8730 वर्गफीट भूमि शेष रह जायेगी।

चूकि बियाडा उपरोक्त कंडिका (4) एवं (5) के मामले में सीधे तौर पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकती है, अतएव इस मामले में सरकार से निदेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

उत्पाद परिवर्तन का प्रस्ताव

6. सर्वश्री निखिल इंजिकॉन प्रा० लि० – सर्वश्री निखिल इंजिकॉन प्रा० लि०, पाटलीपुत्रा द्वारा अपने भूखण्ड संख्या सी-41 पार्ट, रकवा - 6000 वर्गफीट एवं सी-41 एन.एस. रकवा 825 वर्गफीट भूमि पर उनके पूर्व के उत्पाद पलोर मिल, दाल एवं बेसन मिल एवं फूड प्रोसेसिंग को बदलकर Call Centre & BPO स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत इनके परियोजना प्रतिवेदन की जाँच कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

7. सर्वश्री पाटलीपुत्रा इंफोटेक पार्क प्रा० लि० – सर्वश्री पाटलीपुत्रा इंफोटेक पार्क प्रा० लि० द्वारा भूखण्ड संख्या - सी-35, रकवा 1200 वर्गफीट पर अपनी पूर्व के परियोजना फूड प्रोसेसिंग को बदलकर Call Centre & BPO स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत इनके परियोजना प्रतिवेदन की जाँच कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

ह०/- आ०वि० सलाहकार वित्त विभाग, पटना के प्रतिनिधि।	ह०/- उपाध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड०, पटना।	ह०/- अध्यक्ष सी.आई.आई, पटना।	ह०/- अध्यक्ष बिहार इण्ड० एसोसिएशन, पटना।
---	---	------------------------------------	--

ह०/- अध्यक्ष बि०रा०प्र०नि०प०, पटना के प्रतिनिधि। ज्ञापांक 4483/D	ह०/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, दरभंगा। 15/DEV/BIADA/2014	ह०/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, भागलपुर।	कार्यकारी निदेशक बियाडा, पटना/मुजफ्फरपुर। दिनांक 07/10/16	ह०/- प्रबंध निदेशक बियाडा, पटना।
--	--	--	--	--

प्रतिलिपि: - पी०सी०सी० के सभी सदस्यों/ प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यकारी निदेशक